

मनरेगा का ग्रामीण समाज पर प्रभाव

सारांश

मनरेगा योजना का ग्रामीण लोगों के सामाजिक और आर्थिक जीवन में बहुत लाभ हुआ है। मनरेगा योजना केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण परिवारों को रोजगार उपलब्ध करके उनकी सामाजिक और आर्थिक दशा में सुधार लाना है। इससे ग्रामीण लोगों का विकास होगा और गाँवों का विकास होगा तो राष्ट्र का विकास होगा। इस कार्यक्रम से मनरेगा कर्मियों की भावनाएँ, कार्य, सम्पूर्ण विचार, क्षमता आदि का विकास होता है क्योंकि मनरेगा उनकी आजीविका का साधन बना है। मनरेगा और ग्रामीण लोग (श्रमिक) एक-दूसरे के सृजन के साथी हैं। इस प्रकार जब ग्रामीण लोग आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर हो जायेंगे तो वे सामाजिक दृष्टि से अपने आप ही उच्च वर्ग के लोगों की बराबरी सहज प्राप्त कर लेंगे।

मुख्य शब्द : मनरेगा, श्रमिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन, समर्पण, राष्ट्र, विकास, भावना, सृजन, आत्म-निर्भर, विचार, आजीविका।

प्रस्तावना

मनरेगा के अन्तर्गत ग्रामीण परिवार को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कुल 100 दिवस का समुचित रोजगार प्रदान करने की केन्द्र परिवर्तित योजना, जिसका शुभारम्भ 2 फरवरी, 2006 को आन्ध्र प्रदेश के अनन्तपुर जिले के नरपाला मण्डल की बंढला पल्ली ग्राम पंचायत में किया गया। योजना का प्रथम चरण (02/02/2016) में 200 जिलों व द्वितीय चरण (01/04/2007) में अन्य 130 जिलों में लागू किया गया। 01 अप्रैल, 2007 को 113 जिले अधिसूचित किये गये। एसजीआरवाई तहत के चल रहे कार्यक्रमों और काम के बदले अनाज कार्यक्रम को इन जिलों में मनरेगा के अन्तर्गत मिला दिया गया। वर्ष 2007-08 में मनरेगा का विस्तार किरते हुए इसे 330 जिलों में लागू कर दिया गया। वर्ष 2008-09 (01 अप्रैल, 2008) में इसे देश के सभी ग्रामीण जिलों में लागू कर दिया गया और 2009-10 में योजना का क्रियान्वयन 619 जिलों में किया गया। वर्ष 2014-15 से देश के समस्त 626 ग्रामीण जिलों में इस योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।

मनरेगा एक माँग आधारित स्कीम है जिसका केन्द्र बिन्दु जल संरक्षण, सूखाग्रस्त क्षेत्रों का उद्धार (वाणिकी/वृक्षारोपण सहित), भूमि विकास, बाढ़ नियन्त्रण/संरक्षण (जल ठहराव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित) और सभी मौसमों में अच्छी सड़कों हेतु सड़क सम्बद्धता से सम्बन्धित क्षेत्रों पर ध्यान देना रहा है। केन्द्र व राज्य सरकार का 2014-15 में अंशदान महात्मा गाँधी नरेगा प्रतिवेदन के अनुसार 90:10 था, जो अब 75:25 है।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी अधिनियम, 2005 के तहत राजस्थान में यह योजना “राजस्थान ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना – 2006” के नाम से लागू की गई। राजस्थान में 2 फरवरी, 2006 को माकड़ा देव ग्राम पंचायत (झाड़ोल, उदयपुर) में इस योजना का शुभारम्भ किया गया।

मनरेगा योजना के तहत वर्ष 2009-10 में सर्वाधिक रोजगार प्रदान किये गये।

अध्ययन क्षेत्र

भारत-पाक अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर बसा जिला श्रीगंगानगर विकास की नई ईबारत प्रस्तुत करने की ओर अग्रसर है। 26 अक्टूबर, 1927 को महाराजा गंगासिंह के प्रयासों से गंगनहर के जल की कलरव के साथ अस्तित्व में आया यह जिला बीकानेर संभाग के चारों जिलों में सुदूर जिला है। थार रेगिस्तान के रेतीले धोरों से आच्छादित राजस्थान प्रदेश के उत्तरी भू-भाग का जीवन्त जिला “श्रीगंगानगर” अपने में अनूठा इतिहास संजोये हुए है।



सतीश कुमार

शोधार्थी,

समाजशास्त्र विभाग,

टाँटिया विश्वविद्यालय,रीको,

श्रीगंगानगर, राजस्थान

राजस्थान के उत्तरी क्षेत्र में 28.04⁰ से 30.65⁰ उत्तरी अक्षांश तथा 72.20⁰ से 75.3⁰ पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है। जिले की समुद्र तल से ऊँचाई 168 से 227 मीटर के मध्य है। 30 मार्च, 1949 को श्रीगंगानगर क्षेत्र को जिले का नाम दिया गया। गंग नहर आने से पूर्व श्रीगंगानगर, एक छोटा सा गाँव, भूतपूर्व रियासत मिर्जावाली तहसील में रामनगर के नाम से जाना जाता था।

समस्या अभिकथन

मनरेगा चूँकि ग्रामीणों का मुख्य रोजगार का साधन बन चुका है। ग्रामीणों को रोजगार दिये बिना विकास किया जाना असम्भव है और उत्तम एवं समुचित रोजगार के लिए आवश्यक है मनरेगा कार्य की, जिसमें उपस्थित बाधाओं को दूर कर ग्रामीण (मनरेगा श्रमिक) के अनुकूल बनाया जाना चाहिए।

यह समस्या केवल मनरेगा कर्मियों के दृष्टिकोण से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि अन्य निम्न दृष्टिकोणों से भी महत्वपूर्ण है

1. अधिकारी तंत्र की दृष्टि से
2. मनरेगा कर्मियों की दृष्टि से
3. समाज की दृष्टि से
4. सरकार की दृष्टि से
5. अनुसंधान की दृष्टि से

शोध विधि

इस शोध अध्ययन को पूरा करने के लिए शोधार्थी द्वारा साक्षात्कार अनुसूची विधि प्रयोग में ली गई है।

इस प्रकार की अनुसूचियों में सूचनाएँ प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती हैं। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्त्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है।

अध्ययन के उद्देश्य

1. इस अध्ययन के उद्देश्य यह है कि क्या वास्तव में निर्धन के जीविका के संसाधन का आधार सुदृढ़ हुआ है अथवा नहीं, का अध्ययन करना ?
2. मनरेगा से पंचायत राज संस्थाएँ सुदृढ़ हुई हैं या कोई सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, का अध्ययन करना ?
3. सम्पदाओं के निर्माण में मनरेगा योजना का लोगों तक कितना लाभ पहुँचा है, का अध्ययन करना ?
4. पर्यावरण की रक्षा कहाँ तक व कितनी हुई, का अध्ययन करना ?
5. मनरेगा योजना ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण की ओर कितनी अग्रसर हुई, का अध्ययन करना ?
6. मनरेगा योजना के अन्तर्गत शासन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी आयी है, का अध्ययन करना ?
7. योजना से सामाजिक अन्तर्वेशन को अति सक्रिय रूप से सुनिश्चित के कोई उपाय हुए हैं, का अध्ययन करना ?

परिकल्पनाएँ

1. मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायक रहा है।

2. हरित राजस्थान में मनरेगा का सराहनीय योगदान है।
3. निर्धन के जीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ किया है।
4. पर्यावरण की रक्षा में मनरेगा की मुख्य भूमिका रही है।
5. गाँवों से शहर की ओर पलायन को कम करने में सहायक है।
6. ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा बढ़ाना तथा सामाजिक समानता सुनिश्चित करने का कार्य किया है।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन के लिए 300 ग्रामीण मनरेगा कर्मियों को चुना गया है। सर्वेक्षण के दौरान यह पाया गया कि मनरेगा कर्मियों की सम्पूर्ण भारत में मनरेगा कार्यक्रम शुरू करने के बाद सामाजिक स्थिति में सुधार हुआ है। जैसे-जैसे ग्रामीणों में शिक्षा, रोजगार के अवसर पाने का रुझान बढ़ा है अर्थात् वे सुदृढ़ हुए हैं, वैसे-वैसे वे सभी सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में भी सुदृढ़ हुए हैं तथा आत्मनिर्भर बने हैं। अतः मनरेगा और श्रमिक (ग्रामीण) दोनों रथ के पहियों के समान हैं। यदि एक निर्बल और घटिया हुआ तो समाज का रथ निर्वहन आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पष्ट है कि शिक्षित व रोजगारोन्मुखी समाज का उभरता हुआ कदम क्या रूप लेगा? यह भविष्य ही बतलायेगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. मेहता चेतन, 1996, "महिला और कानून", आशीष पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली।
2. अग्रवाल जे.सी., "भारत में नारी शिक्षा", प्रभात प्रकाशन, नई दिल्ली।
3. मुकजी रविन्द्रनाथ, 1974, "सामाजिक सर्वेक्षण व शोध", सरस्वती सदन, दिल्ली।
4. लवानिया एम.एम., 1989, "समाजशास्त्रीय अनुसंधान का तर्क एवं विधियाँ", रिसर्च पब्लिकेशन, जयपुर।
5. तिवारी आर.पी., 1999, "भारतीय नारी, वर्तमान समस्याएँ एवं समाधान", नई दिल्ली।
6. मिश्रा के.के., 1965, "विकास का समाजशास्त्र", वैशाली प्रकाशन, गोरखपुर।
7. एस.सी. दुबे, "India's Changing Villages"
8. जगजीत सिंह, 1969, "बालक और अभिभावक", अरविन्द प्रकाशन, दिल्ली, प्रथम संस्करण
9. कपिल, एच. के., 1981, "अनुसंधान विधियाँ", हरप्रसाद भार्गव पुस्तक प्रकाशन, आगरा।
10. शर्मा, डॉ. रामनाथ - "शिक्षा मनोविज्ञान", रस्तोगी पब्लिकेशन, मेरठ 1983
11. डॉ. सीताराम जायसवाल - "व्यक्तिगत का मनोविज्ञान", विनोद पुस्तक मंदिर, आगरा, 1990